संख्याः– / XVIII(II)/2020–01(41)/2017

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2020

विषयः–श्री करम चन्द अहलूवालिया हॉस्पीटल एवं मेडिकल रीसर्च सोसाईटी द्वारा हॉस्पीटल व कर्मचारियों के निवास प्रयोजन हेतु मौजा हरिपुरकलां, तहसील– ऋषिकेश, जिला देहरादून में खसरा नं0 556क रकबा 1851.48 वर्गमी0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–338/12ए–59/(2017–2020), दिनांक 29 मई, 2018 तथा पत्र संख्या–498/12ए–59/(2017–2020) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 05 नवम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री करम चन्द अहलूवालिया हॉस्पीटल एवं मेडिकल रीसर्च सोसाईटी डी–202 साकेत, नई दिल्ली को हॉस्पीटल व कर्मचारियों के निवास प्रयोजन हेतु मौजा हरिपुरकलां, तहसील–ऋषिकेश, जिला देहरादून में खसरा नं0–556क रकबा 1851.48 वर्ग0मी0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री करम चन्द अहलूवालिया हॉस्पीटल एवं मेडिकल रीसर्च सोसाईटी डी–202 साकेत, नई दिल्ली को हॉस्पीटल व कर्मचारियों के निवास प्रयोजन हेतु मौजा हरिपुरकलां, तहसील–ऋषिकेश, जिला देहरादून में खसरा नं0–556क रकबा 1851.48 वर्ग0मी0 भूमि क्रय की अनुमति चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154 (4)(3)(क)(I) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (हॉस्पिटल व कर्मचारियों के निवास हेतु) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ

....2

क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– सोसाईटी द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग हॉस्पिटल व कर्मचारियों के निवास के लिए ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्व विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

7– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।

10– सोसाईटी द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनिमय, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– सोसाईटी द्वारा स्थापित किये जाने वाले हॉस्पिटल में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

12– चिकित्सा प्रयोजन (अस्पताल निर्माण) का निर्माण किये जाने सम्बन्धी आई0पी0एच0एस0 मानकों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

13– सोसाईटी अपनी प्रस्तावित योजना में उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति, 2013 के अनुरूप कार्य करने के सम्बन्ध में आख्या सम्मिलित करेगी, साथ ही उक्त चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधायें उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति, 2013 के अनुरूप होगी। इस आशय का शपथ पत्र सम्बन्धित संस्था से प्राप्त किया जाना उचित होगा।

14– अन्य किसी प्रकार की विधिक अनियमितता के लिए संस्था पूर्णत स्वयं उत्तरदायी होगी।

....3

15– सम्बन्धित सोसाईटी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– सम्बन्धित सोसाईटी द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– सम्बन्धित सोसाईटी द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगें।

18– सोसाईटी को योजना प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी यथा आवश्यक स्वीकृतियां समिति द्वारा प्राप्त की जायेगी।

19– सोसाईटी हॉस्पिटल व कर्मचारियों के निवास के निर्माण हेतु राज्य सरकार/ शासन के संबंधित विभाग से आवश्यक अनुज्ञायें/स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त करेगी।

20– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में अथवा किन्ही अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

3– कृपया, तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 992/XVIII(II)/2020,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– श्री करम चन्द अहलूवालिया हॉस्पीटल एवं मेडिकल रीसर्च सोसाईटी द्वारा कोषाध्यक्ष श्री डी0वी0 कपूर, निवासी–डी–202 साकेत, नई दिल्ली–110017.
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।